उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–2397–कार्य/चौदह–पाकालि/2017–3–के/2000 दिनांकः 18 अगस्त, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय :– नितान्त आवश्यकता एवं पूर्ण औचित्य के साथ क्रय/कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–295/कार्य–14/पाकालि–2003–3–के–2000 दिनांक 27.02.2003 के द्वारा क्रय/कार्य हेतु निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये है :–

1. मूल उत्पादक अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री क्रय करने हेतु।
2. भण्डार सामग्री क्रय करने हेतु।
3. कार्यो के निष्पादन हेतु।
4. स्टेशनरी क्रय करने एवं प्रपत्रों की छपाई कराने हेतु (फैक्स व फोटो सम्मिलित करते हुये)।
5. कर्मचारियों के लिये ठंडी/गर्म वर्दी क्रय करने हेतुं।
6. टी0 एंड पी0 क्रय करने के अधिकार।
7. अनावासीय भवनों तथा भूखड़ों को किराये पर लेने हेतु।
8. विभागीय वाहनों की मरम्मत एवं किराये पर लेने हेतु।
9. टी0 एंड पी0 की सर्वे रिर्पोटिंग एवं भण्डार क्षति को स्वीकृति करने हेतु।
10. प्राक्कलन स्वीकृति के अधिकार।

कारपोरेशन के उपरोक्त आदेश द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों में आंशिक संशोधन के निम्न आदेश भी निर्गत किये गये है :–

1. कार्यालय ज्ञाप संख्या–641–कार्य/14/पाकालि–2003–3–के/2000 दिनांक 06.05.2003 द्वारा महाप्रबन्धक वितरण क्षेत्र/लेसा एवं मुख्य महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध) को अधिकार प्रदान किया गये है।
2. कार्यालय ज्ञाप संख्या–855–कार्य/14/पाकालि–2003–3–के/2000 दिनांक 25.06.2003 द्वारा मुख्य अभियन्ता/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग तथा सचिव/अधिक्षण अभियन्ता विद्युत सेवा आयोग को अधिकार प्रदान किये गये हैं।
3. कार्यालय ज्ञाप संख्या–803–कार्य/14/पाकालि–2007–3–के/2000 दिनांक 31.07.2007 द्वारा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता को अधिकार प्रदान किये गये है।
4. कार्यालय ज्ञाप संख्या–804–कार्य/14/पाकालि–2010–3–के/2000 दिनांक 08.07.2010 जानपद (वितरण/पारेषण) स्कंद के अधिकारियों को कार्यो के निस्पादन हेतु अधिकार संशोधित किये गये है।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या–523–कार्य/14/पाकालि–2013–3–के/2000 दिनांक 04.07.2013 द्वारा वितरण के क्षेत्रीय अभियन्ता आधिकारियों एवं सम्बन्धित भण्डार क्रय समितियों के निस्पादन के अधिकार संशोधित किये गये है।
6. कार्यालय ज्ञाप संख्या–4512–कार्य/14/पाकालि–2017–3–के/2000 दिनांक 27.11.2017 द्वारा डिपाजिट कार्यो के प्राक्कलन स्वीकृति के अधिकार संशोधित किये गये है।
7. कार्यालय ज्ञाप संख्या–4843–कार्य/14/पाकालि–2017–3–के/2000 दिनांक 01.12.2017 द्वारा सहायक अभियन्ता (आई0टी0) को कार्य कराये जाने के अधिकार प्रदान किये गये है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 ने क्रमशः कार्यालय ज्ञाप संख्या–1306–प्रनि/म0वि0वि0नि0लि0/ई–1/क्रय/कार्यसमिति दिनांक 05.09.2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–12463/प्र0नि0/का0प्र0/अ0अ0–1 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा भण्डार क्रय/कार्य समिति के पुर्नगठन एवं वित्तीय अधिकारों को संशोधित किया गया है।

कारपोरेशन के उपरोक्त आदेशों जिनके द्वारा क्रय/कार्य हेतु प्रतिनिधायन एवं प्रक्रिया निर्धारित है, के अनुक्रम में वित्तीय देनदारियों (Financial Liabilities) को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से केवल नितान्त आवश्यक एवं पूर्ण औचित्य के कार्य कराये जाने हेतु एतद्द्वारा निदेशित किया जाता है:–

1. अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय/ग्रामीण वितरण मण्डल प्रतिमाह अधिकतम रू0 20,00,000 तक के कार्य (जमा योजना, सांसद निधि, विधायक निधि, बिजनेस प्लान एवं संविदा कर्मियों/बिलिंग के कार्यों को छोड़कर) कराये जाने हेतु अपने मुख्य अभियन्ता वितरण से विचार विमर्श कर उनके अनुमोदन के उपरान्त ही निविदा आमंत्रित कर सकेंगे।
2. उपरोक्त सीमा के पश्चात् मुख्य अभियन्ता की संस्तुति पर प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त ही अधीक्षण अभियन्ता नगरीय/ग्रामीण वितरण मण्डल निविदा आमंत्रित कर सकेंगे।
3. अधिशासी अभियन्ता, नगरीय/ग्रामीण वितरण खण्ड प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत ही अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन से कार्यों का निष्पादन कर सकेगे। इन अधिकारों के अतिरिक्त कार्य निष्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिकृत नहीं किया जायेगा ।
4. प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता प्रतिमाह आमंत्रित निविदाओं के विवरण को वितरण निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

संख्या : 2397–(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2017 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
5. महा निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम एवं केस्को–कानपुर।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम एवं केस्को–कानपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)